

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अधिका हुक्म व में ज
	<p>पैरा किया गया जो शामिल किया है फावली वाले ग्रामिण कारवाही दि. 18/12/2020 को पैरा है।</p> <p style="text-align: center;"><del>—</del></p>	
18/12/2020	<p>फावली पैरा। वही उपस्थित। प्रथम फा वही की बहा सुनी गयी। फावली वाले कार्ड दि. 22/12/2020 को पैरा है।</p> <p style="text-align: center;"><del>—</del></p>	
22/12/2020	<p>फावली पैरा। वही उपस्थित। वही उपस्थित पर मन किया गया एवं फावली में उपलब्ध पत्रावली के अन्तर्गत किया गया। जहाँ अधिकारी ने बताया कि वादग्रस्त द्वारा के प्राथमिक व अंशों संख्या 01 से 03 की सम्पूर्ण जांचगी दुरु की कच्चा बुद भूमि है एवं पुरानी भूमि है जिले प्राथमिक का 1/4 एवं अंशों संख्या 01 से 03 अल्पक का 1/4 हिस्सा प्रकृत है। अंशों संख्या 01 से 02 ने अंगद वादग्रस्त द्वारा लेचन कर दी व प्राथमिक को लेखन कर दिया तो प्राथमिक को प्रयुक्त करी होगी। अंतरिम अस्थापी निदेशों के अन्तर्गत प्रथम पृष्ठ पर प्राथमिक एवं कृषि का अन्तर्गत प्राथमिक के पत्र में निहित है अतः वादग्रस्त द्वारा के राजस्व रकम व भौतिक यथास्थिति साथ लगे वादग्रस्त निकल किया। अंशों अधिकारी की ओर से तबले में बताया गया कि इसके द्वारा प्रकृत पूर्व</p>	

प.मु.जी.

170

तारीख  
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तामील  
में जारी हुए

पारिवारिक लॉन्गो व सिखापदी अनुसार लॉन्गो हो  
-पुका है एवं सत्री को लॉन्गो हिस्सा व मार्ग दिया  
जा चुका है। प्रतीगण को यथास्थिति की कड़ी  
आवरणपता वही है अगर लॉन्गो के अल्लोका की  
सन्देही कर प्रतीगण का अधीन-पत्र सांखिक व  
वकीलार किया जाता है तो प्रतीगण को मद्रपुरगीत  
रूति होगी। अतः प्रतीगण का स्थान अधीन-पत्र  
स्वार्थि कराने का निवेदन किया।

अतः पत्रवली में उपलब्ध दस्तावेज  
के अन्वये एवं तर्क प्रथमा की लक्ष पर  
अतः के उपरान्त प्रतीगण का अधीनपत्र अर्थात्  
द्वारा २१२ RT Act का सांखिक रूप से स्वीकार  
किया जाता है तथा प्रतीगण के पत्र में एवं  
प्रतीगण के विरुद्ध स्त्री निषेधाज्ञा अतः द्वारा  
की जाती की जाती है कि राजस्व ग्राहक के  
विचारण दौरान एवं मित्तल तक वादग्रस्त साक्षी  
के राजस्व रोक की यथास्थिति बनाए रखे। पत्रवली  
में अतः अनुसार एक दर्ज नम्बर से एक हॉकर  
दाखिल करार हो। निर्णय द्वारा दिनांक २३/१२/२०२०  
को सुप्री न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर  
एवं उपखण्ड अधिकारी  
नोपालगढ़ (जोधपुर)